राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांकः 11.10.21

आदेश

विषय : त्रिस्तरीय जन–अनुशासन दिशा–निर्देश।

कोविड–19 संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, परन्तु संक्रमण अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ–साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरन्तरता में बिन्दु संख्या 16 में प्रदर्शनी/सामाजिक समारोह के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए **धार्मिक कार्यक्रम प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे** तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की **कम–से–कम 1st dose** लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।

2. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरन्तरता में स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के **हाट बाजारों** का आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए किया जा सकेगा।

3. प्रदेश की समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन **रात्रि 10:00** बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों द्वारा स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।

4. पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट अपने समयानुसार संचालित किये जा सकेंगे।

5. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन **रात्रि 11:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे** तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

6. यह आदेश आदिनांक से प्रभावी होगा।

7. शेष सभी दिशा–निर्देश पूर्व में जारी आदेश अनुसार यथावत् रहेंगे।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त जिला कलक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

(सुरेश गुप्ता)
शासन सचिव, गृह